फर्द अहकाम

ग्राम पंचायत [illegible] बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय

संख्या 4/2022 प्रा॰पत्र 136 LR Act

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/4/22	अधिवक्ता रामनिवास [illegible] के प्रा॰ पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 LR Act का पेश किया [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार से [illegible] [illegible] से [illegible] को [illegible] की [illegible] की [illegible] पत्रावली दिनांक 2/5/2022 को पेश हो [illegible]	
	2/5/22	[illegible] [illegible] दौरे/अवकाश [illegible] है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/5/22 को पेश हो।	
	11/5/22	प॰ प्रार्थी उप॰। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता [illegible] कुमार चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13/5/22 को पेश हो। [signature]	
	19/5/22	प॰ क॰ उपस्थित [illegible] सुनी [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] [illegible] [illegible] 136 [illegible] [illegible] किया [illegible] किया [illegible] किया [illegible] [illegible] होकर [illegible] [illegible] तथा [illegible] [illegible] हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested

जिसके बने हाल खसरा नम्बर 96, 192, 201/962, 96/1173 है। जिसमें खसरा नम्बर

[signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

. 04 / 2022

उनवान

. ग्राम पंचायत गुडलिया जरिये सरपंच भिखारी लाल मीणा पुत्र श्री बूडाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाके ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का रहने वाला एवं ग्राम पंचायत गुडलिया का वर्तमान सरपंच हैं। वाके ग्राम छोटागुढ़ा, पटवार हल्का गुडलिया, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 1 के हाल आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2.68 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी एवं खसरा नम्बर 96 / 1173 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म बंजड, स्थित हैं। उक्त आराजीयात में अर्सा करीब 100 वर्षो से अधिक समय से गांव आबादी बसी हुई हैं तथा लोग मय परिवार के निवास करते चले आ रहे हैं तथा लोगों की अर्सा दराज पूर्व के पुख्ता मकानात, पशुवाडे, छान छप्पर आदि बने हुये हैं, जिनका उपयोग उपभोग प्रार्थी व अन्य लोग करते चले आ रहे हैं।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 96 व 96 / 1173 का गत खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही थी, किन्तु हाल सेटलमेन्ट के दौरान आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई तथा सहवन से खसरा नम्बर 96 / 1173 जो कि गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर बजड भूमि दर्ज कर दिया गया। जो कि न्यायहित में उक्त गलती दुरूस्थी की जानी आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

हाल सेटलमेन्ट के समय कारकुनानों द्वारा की गई गलती का हाल ही में जब गांवों में आबादी भूमि का डॉन द्वारा सर्वे करने पर प्रार्थी के मकान व अन्य पडौसीयों के मकान आबादी भूमि से बाहर हो गये, व खसरा नम्बर 96 / 1173 में दर्शाया दिये गये, जो भूमि बजड दर्ज हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्रामीण जनता को पट्टे आदि नहीं बना कर दिये जा सकते हैं जिस पर प्रार्थी को उक्त तथ्य का ज्ञात होते ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवामें दुरूस्थी हेतु पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन [illegible] कि [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 96 [illegible] वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूँ, जिला [illegible] स्थान पर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी [illegible] जाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम छोटागुढा, तहसील चौमूं में स्थित आराजी गत खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा जो कि पूर्व में सम्वत् 2028 से 2031 गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, जिसके बने हाल खसरा नम्बर 96, 192, 201 / 962, 96 / 1173 है। जिसमें खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

/1173 को सहवन से हाल सेटलमेन्ट में गैर मुमकिन आवादी के स्थान पर बंजड राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। जिसको दुरूस्त किये जाना न्याय संगत है तथा उक्त गलती दुरूस्ती योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा0 पत्र, *दस्तावेज, जवाब* व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। वाके ग्राम छोटागुढा, तहसील चौमूं में स्थित आराजी गत खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा जो कि पूर्व में सम्वत् 2028 से 2031 गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, जिसके वने हाल खसरा नम्बर 96, 192, 201/962, 96/1173 है। जिसमें खसरा नम्बर 96/1173 को सहवन से हाल सेटलमेन्ट में गैर मुमकिन आवादी के स्थान पर वंजड राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार चौमूं द्वारा जरिये जवाव दुरूस्त किया जाना न्याय संगत बताया गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम छोटागुढा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 96/1173 रकबा 0.12 हैक्टेयर, किस्म बजड को वजड भूमि के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमूं ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested